



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर


क्रमांक/6673/प.स./2020

रायपुर, दिनांक 11/11/2020

:: आदेश ::

मण्डल की परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 28.08.2020 एवं 17 से 20.08.2020 के विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णयानुसार कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया में की जाना है। नामांकन प्रमाण पत्र में छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी (जाति) तथा दिव्यांगता संबंधी जानकारी मंडल के पोर्टल में निर्धारित तिथि में अंकित करें।

अंतिम तिथि के पश्चात यदि कुछ छात्र/छात्राओं का पंजीयन नहीं हुआ है, या पंजीयन उपरांत पंजीकृत किये गये छात्रों के विवरण में त्रुटि हो गयी है। इस तरह के संशोधन हेतु प्रति छात्र प्रथम बार शुल्क रु. 100/-, द्वितीय बार शुल्क रु. 200/- तथा तृतीय बार शुल्क रु. 500/- अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जाता है। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2020-2021 से किया जाता है।


(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)

सचिव


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

रायपुर, दिनांक 11/11/2020

पृ.क्रमांक/6674/प.स./2020

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निजी सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
2. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग. मा. शिक्षा मण्डल, रायपुर,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
4. समस्त सहा. सचिव/कक्ष अधि., परीक्षा/गोपनीय/भण्डार/वित्त, छ.ग.मा.शि. मण्डल, रायपुर,
5. समस्त संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव,
6. संबंधित अधिकारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं राजनांदगांव,
7. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर